कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल)

जिला– भोपाल

क्रमांक 57/ ऐड./ भोज/ 2020 भोपाल, दिनांक : 26/02/2020

(समूह- 2)

पैरासेलिंग शर्ते

धरोहर राशी 15,000/- (वापसी योग्य)

आवेदन/फार्म का मूल्य 3000/- रू.

1. **21 मार्च से 19 अप्रेल 2020**, के मध्य निरंतर 03 पैरासेल मय भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के साथ उपलब्ध कराने होगें। **खुली जिप्सी अथवा समकक्ष और खुली जीप हायर साइड इंजिन पॉवर वाली होना आवश्यक होगा अन्य किसी भी गाड़ी/कार से पैरासेलिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी**
2. **21 मार्च से 19 अप्रेल 2020** के मध्य 500 प्रतिभागियों को अनिवार्य रूप से पैरासेलिंग कराना होगा। ऐजेसी को प्रति दिन न्यूनतम 70 प्रतिभागियो को पैरासेलिंग कराना अनिवार्य होगा **(इसे न्यूनतम गारंटी न समझा जाए)**। उपकरणो की तकनीकी खामी अथवा अन्य किसी कारण से न्यूतम पैरासेलिंग नही होने पर 1000 रु प्रति **दिन** पैनल्टी आरोपित की जा सकेगी ।
3. दल के पास उनका आई डी होना अनिवार्य होगा एवं बायो डाटा के साथ 02 पासपोर्ट साईज फोटो बीटीपीसी में जमा कर परिचय पत्र बनवाना ऐजेन्सी को अनिवार्य होगा ।किसी परिस्थिति में दल का कोई सदस्य नशे की हालत में गतिविधियो मे शामिल नही होगा ऐसा पाये जाने पर ऐजेसी का कार्यादेश रद्द किया जायेगा।
4. दल के प्रत्येक सदस्यो के प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र तथा कहा से प्रशिक्षण प्राप्त किया उसका उल्लेख प्रथक से किया जाना अनिवार्य होगा।
5. ऐजेन्सी को प्राथमिक उपचाार हेतु फर्स्ट एड बॉक्स आवश्यक दवाईयो के साथ स्थल पर रखना होग।
6. अतिरिक्त पैरासेल आवश्यक होने पर संस्था को 3 दिन के नोटिस पर उपलब्ध कराना होगा जिसका अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
7. आपरेटर फ्लाइंग के दौरान प्रत्येक पैसेंजर का बीमा करवाना एवं इन्डेमिनेंटी बॉड भरवाना, आदि ऑपरेटर का दायित्व होगा बिना इन्डेमिनेंटी बॉड भरवाये पैरासेलिंग करना प्रतिबंधित होगा। किसी भी दुर्घटना के लिये ऑपरेटर स्वयं ज़िम्मेदार होंगे।
8. फाईनेंशियल ऑफर में द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली ऐजेसी द्वारा न्यूनतम दर पर स्वीकृती देने का दशा में बीटीपीसी द्वारा उस ऐजेंसी का प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकेगा । बी टी पी सी द्वारा **एजेंसी** को 50,000 रु. के बिजनेस की गारंटी दी जावेगी ।
9. पैरासेलिंग तैयारी करने के उपरांत मौसम खराब होने की दशा में पैरासेलिंग नही होने पर पैनल्टी नही लगाई जावेगी परंतु वो पैरासेलिंग मौसम ठीक होने अथवा अगले दिन कराना अनिवार्य होगा । किसी भी तकनीकी खराबी की संपूर्ण जबावदारी ऐजेन्सी की होगी ऐसी दशा में पैरासेलिंग का भुगतान नही हो सकेगा ।
10. आयोजन की अवधी में सप्ताहिक भुगतान उस दौरान की जाने वाली पैरासेलिंग की गणना कर अथवा आशिंक भुगतान ऐजेसी के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित बिल के विरुध किया जा सकेगा। प्रत्येक फ्लाइंग का हिसाब टिकिट के आधार पर होगा उसका चार्ट बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
11. उपरोक्त गतिधियो के लिये आवश्यक ईधन एवं व्हीकल की व्यवस्था स्वीकृत ऐजेसी द्वारा की जायेगी।
12. ऐजेंसी को सुरक्षा के संपूर्ण मानको का ध्यान रखते हुये उसका पालन करना होगा । दल के पास आवश्यक लाईसेंस होना अनिवार्य है । किसी भी परिस्थिति में दल का कोई भी सदस्य नशे की हालत में आयोजन स्थल पर पाये जाने पर अथवा पैरासेलिंग कराये जाने पर

50,000/- रू. जुर्माना तथा निविदा निरस्त की जायेगी।

13. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष बीटीपीसी का निर्णय मान्य होगा तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के लिये जिला भोपाल मान्य होगा।
14. ऑपरेटरर्स को (19/03/20) 02 दिन पूर्व अपने सभी उपकरण स्थापित कर उनका डिमास्टेशन एवं परीक्षण बीटीपीसी के अधिकारियो के समक्ष कराना होगा ।
15. बीटीपीसी को यह अधिकार होगा कि वे फेस्ट की तिथि तथा अवधी कम अथवा ज्यादा कर सके।
16. न्यूनतम अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं के सहमत होने पर उनके प्रस्ताव विचार करने एवं कार्यादेश देने हेतु बीटीपीसी का निर्णय मान्य होगा ।
17. एजेंसी को 2 दिन पूर्व आयोजको को सुनिश्चित कराना होगा कि उसके पास पर्याप्त सुरक्षा के उपाए , नए उपकरण , प्रशिक्षित ट्रेनर , 5 जोड़ी हर साइज़ के शूज , हेलमेट, हार्नेस, हैण्ड ग्लप्स, नी केप, सूचना के बोर्ड जिसपे सभी सावधानिया लिखी हो ,प्राथमिक उपचार किट है । ऐसा नहीं होने पर तत्काल सुरक्षा निधि राजसात कर निविदा निरस्ती कि कार्यवाही की जावेगी एवं दुर्घटना भीमा भी कराया जाना होगा ।
18. एजेंसी को प्रति दिन किये पैरासेल की गणना चार्ट के माध्यम से मय सूची के प्रस्तुत करनी होगी उसी के आधार पर भूगतान किया जायेगा।
19. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने एवं दरो को नेगोशियेट करने का संम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष बीटीपीसी भोपाल को होगा । अतिम निर्णय अध्यक्ष बीटीपीसी भोपाल का होगा ।
20. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में न्यायालय के द्वारा अथवा व्यक्तिगत किसी प्रकार का वित्तीय दावा की प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
21. निर्धारित प्रारूप में वित्तीय एवं तकनीकी/ प्रशासकीय प्रस्ताव मय धरोहर राशि के दिनांक 06/03/2020 तक शाम 5 बजे तक कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा स्वयं के द्वारा भेजे 5 बजे के बाद प्राप्त निविदा कलेक्टर भोपाल तथा अध्यक्ष बीटीपीसी की अनुमति से स्वीकार की जावेगी पोस्ट में बिलम्ब के लिए बिड कर्ता स्वयं जिम्मेदार होगे
22. निविदा दिनांक 07.03.2020 को दोपहर 12:00 बजे कार्यालय जिला पंचायत भोपाल में निविदा का अथवा उनके प्रतिनिधी के समक्ष खोली जावेगी।
23. किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय जिला पंचायत भोपाल अथवा मोबाइल न. 7225927773 पर कार्यालयीन समय में (10:30 से 5:00) संपर्क कर सकते है।
24. बी टी पी सी को आयोजन कि तारीख बदलने एवं आयोजन कि अवधि कम या ज्यादा करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा जो कि सभी को मान्य होगा ।

उपरोक्त 1 से लागयत 24 तक सभी शर्ते स्वीकार है ।

नाम ....

दिनांक ....

स्थान ....

हस्ताक्षर

आवेदक/संस्था प्राधिकारी

समूह 2

पैरासेलिंग गतिविधी हेतु

(वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप)

S.No.	Activity name	Rate Per Flying	Rate Per Day (70 pairasail per day min)	Remark
1	21 मार्च से 19 अप्रैल 2020 के मध्य **500 पैरासेल करने हेतु दर समस्त कर सहित			
2	21 मार्च से 19 अप्रैल 2020 के मध्य 500 पैरासेल के बाद दर समस्त कर सहित			

** यह न्यूनतम गारंटी नहीं है ।

*** दरे प्रति दिन एवं प्रति फ्लाइंग में से जो न्यूनतम दर होगी उसे ही मान्य किया जायेगा .

नाम ....

दिनांक ....

स्थान ....

हस्ताक्षर

आवेदक / संस्था प्राधिकारी